2667
13-11-19

दूरभाष – 05278.245957

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक: लो0अ0वि / रा0से0यो0 /   / 2019   दिनांक: 13 नवम्बर, 2019

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / कार्यक्रमाधिरी,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
अयोध्या।

विषय:– वर्ष 2019–20 में राष्ट्रीय सेवा योजना–नियमित तथा विशेष शिविर कार्यकक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या का आवण्टन।

महोदय / महोदया,

कृपया संलग्न शासन के पत्र संख्या–आवं. 54 / सत्तर–रा0से0यो0को0–19–21–2017 दिनांक 11 नवम्बर, 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें आपके महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख अंकित छात्र संख्या का आवण्टन किया गया है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए रिक्त पदों पर कार्यक्रमाधिकारी का चुनाव, पंजीकरण छात्र संख्या, छात्र सूची, निवेश पत्र कार्ययोजना एवं पंजीकरण शुल्क राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ में जमा करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि रिक्त पद पर बिना कार्यक्रमाधिकारी का चुनाव के इकाई चलाने की अनुमति नहीं होगी।

संलग्नक– शासन के पत्र की छाया प्रति।

भवदीय,
डॉ0 (समीर सिन्हा)
रा0से0यो0 कार्यक्रम समन्वयक
13-11-19

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ:–

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

डॉ0 (समीर सिन्हा)
रा0से0यो0 कार्यक्रम समन्वयक
13-11-19

संख्या–आवं. 54 / सत्तर–रा0से0यो0को0–19–21 / 2017

प्रेषक,

अंशुमालि शर्मा,
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग लखनऊः दिनांक 11 नवम्बर, 2019

विषयः– वर्ष 2019–20 में राष्ट्रीय सेवा योजना–नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डा0 समीर सिन्हा, कार्यक्रम समन्वयक, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, राष्ट्रीय सेवा योजना के पत्रांक– लो0अ0वि0 / रा0से0यो0 / मेमो / 2019, दिनांक 02–10–2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन में प्राप्त प्रस्ताव / रिपोर्ट / 2018–19 की गतिविधियों की रिपोर्टो के मूल्यांकन एवं रिपोर्टों के परीक्षणोपरान्त वर्ष 2019–20 में राष्ट्रीय सेवा योजना–नियमित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नानुसार छात्र संख्या आवंटित की जाती है:–

	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018–19 के लिए आवंटित छात्र संख्या	वर्ष 2019–20 में आवंटित छात्र संख्या
1	2	3	4
1.	रामबक्स सिंह स्मारक महा0, सकरादक्षिण, अम्बेडकर	00	100
2.	सिरातुल मुस्तकिन डिग्री कालेज, हनीफनगर, सुल्तानपुर	00	100
3.	पराग देई महिला महा0, हलियापुर, सुल्तानपुर	00	100
4.	क्लावती गर्ल्स डिग्री कालेज, शाहपुरलपटा, सुल्तानपुर	00	100
5.	बदली महा0, अमरेथुडण्डिया, कादीपुर, सुल्तानपुर	00	100
6.	श्रीमती शिव दुलारी महिला महा0, गुगवात, अमेठी	100	100
7.	राजकीय महाविद्यालय, हंसौर, बाराबंकी	00	100
	योग–	100	700

2– उपरोक्त तालिका के कालम–4 में उल्लिखित सामान्य कार्यक्रम की छात्र संख्या का 50 प्रतिशत विशेष शिविर आयोजन हेतु आवंटित छात्र संख्या मानी जायेगी। उपरोक्त आवंटन में नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संबंधित संस्थाओं को इकाई आवंटन की सूचना प्रेषित करते हुए पंजीकरण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

4– विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से शासन को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।

5— भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई—मेल के माध्यम से एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन व क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।

6— इकाइयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ (7×2)=14 पृष्ठ), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ (×7) संलग्न होनी चाहिए एवं वर्ष भर किये गये नियमित कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट (कम से कम 08 पृष्ठ की फोटो सहित)। रिपोर्ट की हार्ड कापी कार्यक्रम समन्वयक को व साफ्ट कापी शासन व कार्यक्रम समन्वयक दोनों को प्रेषित करें।

7— वित्तीय वर्ष 2019—20 में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवंटित छात्र संख्या के सापेक्ष धनराशि का भुगतान पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से ही किया जायेगा। अतः उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन महाविद्यालयों का पंजीकरण पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) नहीं है **यदि उनका पंजीकरण पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) में विश्वविद्यालय/माध्यमिक मण्डल के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर नहीं कर लिया जाता है, तो उनका आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।**

भवदीय,

(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या—आवं.54(1)/सत्तर—रा0से0यो0को0—19—21/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0 1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर—एच0, अलीगंज, लखनऊ।
3. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा0से0यो0, सेंट जान्स कालेज, आगरा।
4. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, इण्डियन लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड, लखनऊ
5. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा0से0यो0, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
6. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित वि0वि0, उ0प्र0।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।